2017/00457

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 60 / 2017 (उदयपुर आर्डर)

1. बं”ीलाल पिता भांकरलाल जी मीणा, निवासी पडियाकाड, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
2. अर्जुन पिता भीम जी मीणा, निवासी पडियाकाड, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती गंगादेवी बेवा भीम जी मीणा, निवासी पडियाकाड, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
4. मणीदेवी पिता भीम जी मीणा, निवासी पडियाकाड, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
5. रामलाल पिता भीम जी मीणा, निवासी पडियाकाड, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
2. राजकीय माध्यमिक विद्यालय खेरवाड़ा, जरिये प्राचार्य, राजकीय माध्यमिक विद्यालय खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर उदयपुर कमांक प.12/3 (25)राज/आर/2004/3135 दि. 7.12.2004

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) : 1– श्री लोके”ा मेनारिया अभिभाशक अपीलान्टगण

2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय दिनांक

27—09—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 07—12—2004 से ग्राम खेरवाड़ा खालसा की बिलानाम आराजी नंबर 2010/1901 रकबा 0.10 हैक्टर एवं चारागाह आराजी नंबर 1900 रकबा 0.21 हैक्टर तथा आराजी नंबर 1935 रकबा 7.32 हैक्टर में से 7.12 हैक्टर भूमि राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम की धारा 92 के तहत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ राजकीय महाविद्यालय हेतु आरक्षित की, जिससे रूष्ट हाकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 25—10—2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त आदे"ा की जानकारी नहीं थी, क्योंकि यह आदे"ा उन्हें बिना सुने उनकी अनुपस्थिति में पारित किया गया है, जबकि अपीलान्टगण का विवादित भूमि पर 50 वर्शो से कब्जा चला आ रहा है। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की जा रही है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

अपीलान्ट द्वारा दफा 96 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा होकर उसक चारों ओर पक्की बाउण्ड्रीवाल बना रखी है इसलिए उक्त भूमि नियमन योग्य है। प्रार्थीगण के हक में नियमन की कार्यवाही किये बिना एवं उसे बिना सुने अपीलाधीन आदे"ा पारित कर दिया गया है, जिससे अपीलान्टगण के हित प्रभावित हो रहे हैं। अतः अपीलान्टगण आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार होने से उन्हें अपील प्रस्तुत

करने की अनुमति प्रदान की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमारे द्वारा उक्त दफा 5 जाब्ता मयाद के आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी तो यह पाया कि अपीलान्टगण अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थ, किन्तु अपीलान्टगण द्वारा यह अपील करीब 12½ वर्शो से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए जो कारण बताये हैं व न तो उचित हैं, न ही पर्याप्त। जबकि देरी के मामले में प्रत्येक दिन के हुए विलम्ब को स्पश्ट किया जाना आव''यक होता है। तद्नुसार अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

जहां तक दफा 96 जा.दी. के आवेदन का प्रश्न है, विवादित भूमि राजस्व अभिलेखों में बिलानाम/चरनोट भूमि दर्ज है। अपीलान्ट उक्त भूमि पर अपना पुराना कब्जा होना बताता है, किन्तु उसका पुराना कब्जा होने बाबत् उसके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किय गये हैं। एक क्षण के लिए यदि उसका कब्जा मान भी लिया जावे तो वह बतौर अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी का कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं होता है। तद्नुसार हम अपीलान्ट को आव''यक, हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार नहीं पाते हैं एवं अपीलान्ट की अपील मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं अपीलान्ट का धारा 96 जा.दी. का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं होने से अपील इसी स्तर पर खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 07–12–2004 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27–09–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर